

कार्यालय उप संचालक कृषि विभाग रायगढ़, जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

क्र./टी-1/PMFBY/लक्ष्य/प्रचार-प्रसार/2020 -21/2228

रायगढ़, दिनांक - 27/07/2020

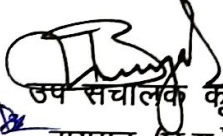
प्रति,

अनुविभागीय कृषि अधिकारी
रायगढ़/सारंगढ़/धरमजयगढ़
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

- विषय :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020-21 में अन्नदानी कृषकों की अधिकतम सहभागिता के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने के संबंध में।
- संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्र./टी-1/PMFBY/लक्ष्य/प्रचार-प्रसार/2020 -21/2198
रायगढ़ दिनांक 25.07.2020

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको संबोधित है उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आपके अधीनस्त कर्मचारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित उनका माह जुलाई का वेतन आहरण नहीं किया जावे। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसके गुण दोष का परीक्षण के आधार पर ही वेतन आहरण पर विचार किया जावे।


उप संचालक कृषि 27/7/2020
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र./टी-1/PMFBY/लक्ष्य/प्रचार-प्रसार/2020 -21/2229

रायगढ़, दिनांक - 27/07/2020

प्रतिलिपि :-

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि.खं. (सर्व), जिला – रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालयीन कक्ष प्रभारी स्था./लेखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप संचालक कृषि 27/7/2020
रायगढ़ (छ.ग.)